



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230564
CG-DL-E-21102021-230564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3997]
No. 3997]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/ आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4347(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के वाई.एस.आर. (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 440 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 50+000 (रायचौटी से वेमपल्ली सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब कलेक्टर/रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, कडपा वाई.एस.आर. (कडपा) जिले को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH440 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 50+000 (रायचौटी से वेमपल्ली सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) पर भूमि का अधिग्रहण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: वाई एस आर (कडपा)			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रायचौटी					
गांव का नाम: मासापेट					
1	233 / 1B	निजी(जी .डी)	पट्टा	0.0700000(एकर)	0.0283286
गांव का नाम: रायचौटी					
1	272 / 2	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.0499999(एकर)	0.0202347
2	279 / 1 C 2	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.0400001(एकर)	0.0161878
3	279 / 2B	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.0099999(एकर)	0.0040469
4	593 / 3 A	सरकारी(डॉटेड)	जी.डी	0.1300001(एकर)	0.0526103
5	594 / 1 A 1	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.4799992(एकर)	0.1942533
6	594 / 1 B	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.5199997(एकर)	0.2104411
7	594 / 1 C 1	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.1800000(एकर)	0.0728450
8	594 / 2 A	निजी(पट्टा)	जी.डी	0.1199999(एकर)	0.0485633
कुल				1.6000	0.6475

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/1/2021-22/AnnualPlan-AP/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2021

S.O. 4347(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for

the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building widening, two/four lane with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.440 in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 50+000 (Rayachoty to Vempalli section) in Y.S.R. Kadapa District in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **The SUB-COLLECTOR/ REVENUE DIVISIONAL OFFICER, Kadapa** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-440 in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 50+000 (Rayachoty to Vempalli section) in Y.S.R. Kadapa District in the State of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH District: Y . S . R . (Kadapa)					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Rayachoty					
Village: Masapet					
1	233 / 1B	Private(G . D)	PATTA	0.0700000(Acre)	0.0283286
Village: Rayachoty					
1	272 / 2	Private(PATTA)	G.D	0.0499999(Acre)	0.0202347
2	279 / 1 C 2	Private(PATTA)	G.D	0.0400001(Acre)	0.0161878
3	279 / 2B	Private(PATTA)	G.D	0.0099999(Acre)	0.0040469
4	593 / 3 A	Government(DOTTED)	G.D	0.1300001(Acre)	0.0526103
5	594 / 1 A 1	Private(PATTA)	G.D	0.4799992(Acre)	0.1942533
6	594 / 1 B	Private(PATTA)	G.D	0.5199997(Acre)	0.2104411
7	594 / 1 C 1	Private(PATTA)	G.D	0.1800000(Acre)	0.0728450
8	594 / 2 A	Private(PATTA)	G.D	0.1199999(Acre)	0.0485633
Total				1.6000	0.6475

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/Annual Plan-AP/3A]

RAJESH GUPTA, Director